

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
26, अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेल रोड, भोपाल
क्र./बोर्ड/ नियमन/ अपील/22-23/191

दिनांक: 24/03/2023

संशोधित आदेशः

श्री देवेन्द्र कुमार नागेन्द्र तत्कालीन अपर संचालक, का स्थानान्तरण सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 14 फरवरी 2023 से मुख्य सचिव कार्यालय म.प्र.शासन में किए जाने के फलस्वरूप कार्य सुविधा की दृष्टि से पूर्व में जारी आदेश क्रमांक/बोर्ड/नियमन/अपील/ 131-132 दिनांक 17.01.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्रमांक-24 से 1973) की धारा-65 की उपधारा (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं जी.व्ही. रश्मि, प्रबंध संचालक, मंडी बोर्ड एतद द्वारा नीचे दी गयी अनुसूची के कालम (3) में उल्लेखित धाराओं के अंतर्गत प्रस्तुत अपील/आवेदन संबंधी अनुसूची के कालम नम्बर 4 में वर्णित शक्तियां मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड मुख्यालय भोपाल में पदस्थ कालम 02 में उल्लेखित अधिकारियों को आवंटित मंडी बोर्ड के आंचलिक कार्यालय के क्षेत्र अंतर्गत स्थित कृषि उपज मंडी समितियों हेतु अधिकार प्रत्यायोजित करती हूं।

-अनुसूची-

क्र.	अधिकारी का नाम, पदनाम एवं आवंटित संभाग	म.प्र. कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा	प्रत्यायोजित की गयी शक्तियों की सीमा
1	2	3	4
1	श्री गौतम सिंह, अपर संचालक आंचलिक कार्यालय, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर के क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी समितियां।	धारा-34(1) (ख) तथा (3)	अनुज्ञप्ति रद्द करने, निलंबित करने या नवीनीकरण करने से इनकार करने के विरुद्ध अपील प्राप्त करना व आदेश पारित करना व स्वविवेकानुसार किसी कालावधि के लिए मंडी समिति के इस संबंध में दिए गए आदेश को रोकने की शक्ति।
		धारा-59 (1) एवं (2)	मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने व उनका परीक्षण करना और आवश्यकतानुसार उपांतरित करना, वातिल करना या उलटने या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने तथा उनके निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति।
		धारा-61 (3) एवं (4)	मंडी समिति की रूपये 1.00 लाख से 25.00 लाख (रूपये एक लाख से पच्चीस लाख) तक की शोध्य राशि के संबंध में जांच करने व विनिश्चय करने तथा रोकने की शक्ति।
2	सुश्री संगीता ढोके, संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय भोपाल, सागर,	धारा-34(1) (ख) तथा (3)	अनुज्ञप्ति रद्द करने, निलंबित करने या नवीनीकरण करने से इनकार करने के विरुद्ध अपील प्राप्त करना व आदेश पारित करना व स्वविवेकानुसार किसी कालावधि के लिए मंडी समिति के इस संबंध में दिए गए आदेश को रोकने की शक्ति।

जबलपुर, एवं रीवा क्षेत्र में स्थित कृषि उपज मंडी समितियां।	धारा-59 (1) एवं (2)	मंडी समिति की कार्यवाहियों को मंगाने व उनका परीक्षण करना और आवश्यकतानुसार उपांतरित करना, वातिल करना या उलटने या पुनर्विचार के लिए विप्रेषित करने तथा उनके निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति।
	धारा-61 (3) एवं (4)	मंडी समिति की रूपये 1.00 लाख से 25.00 लाख (रूपये एक लाख से पच्चीस लाख) तक की शोध्य राशि के संबंध में जांच करने व विनिश्चय करने तथा रोकने की शक्ति।

1. उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों में अनुसूची के कालम (4) में वर्णित विषयों में रूपये 25.00 लाख से अधिक राशि निहित होने संबंधी प्रकरण प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड द्वारा सुने एवं निराकृत किए जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया जाता है।

(जी.व्ही. रश्मि)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त,
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

दिनांक: 24/03/2023

क्र./बोर्ड/ नियमन/ अपील/22-23/ 192

प्रपिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. विशेष सहायक, माननीय अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
02. निज सहायक, प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
03. श्री गौतम सिंह, अपर संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
04. सुश्री संगीता ढोके, संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
05. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उपसंचालक (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
06. मुख्य अभियंता/अधीक्षण यंत्री/कार्यपालन यंत्री (समस्त), म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय, भोपाल।
07. संयुक्त/उप संचालक, आंचलिक कार्यालय, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जबलपुर, ग्वालियर/भोपाल/सागर/उज्जैन/रीवा/इंदौर।
08. भारसाधक अधिकारी/सचिव कृषि उपज मंडी समितिजिला(समस्त)।
09. समस्त पटल प्रभारी/आदेश नस्ती/सूचना पटल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(जी.व्ही. रश्मि)

प्रबंध संचालक सह आयुक्त,